



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए 18 माह में धन दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने के मामले में 05 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रुपये (कुल 25,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 03.07.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा 18 माह में धन दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने के मामले में 05 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- अभियुक्तगण 1. अशोक पुत्र रघुवीर, 2. धर्मपाल पुत्र रघुवीर, 3. सुषमा पत्नी धर्मपाल निवासी गण ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, 4. अशोक पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम भडकाऊ थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर व 5. चन्द्रकिरण पुत्र रामवीर निवासी ग्राम बागड़पुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा आमजनता को 18 माह में धन दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 49/2023 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भादवि व 3/4/5/6 बैनिंग एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 29.05.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 03.07.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय ACJM हापुड़ द्वारा 05-05 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री सुनील कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री अवधेश मोहर, पैरोकार है0का0 रवि चिकारा व कोर्ट मोहरीर है0का0 मैनीपाल सिंह का विशेष योगदान रहा।

